न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/263

मिसल नम्बर– 80 / 2024

कल्लो आयु 75 वर्ष पत्नी स्वर्गीय श्री अब्दुल गनी निवासी मकान नम्बर 7 सी 12 विज्ञान नगर विस्तार योजना कोटा

प्रार्थीया।

बनाम

1.अब्दुल हमीद आयु 55 वर्ष स्व0 अब्दुल गनी व्यापार ट्रेक सूट
2.अब्दुल अजीज आयु 55 वर्ष स्व0 अब्दुल गनी व्यापार ट्रेक सूट
3.मोहम्मद हयात आयु 55 वर्ष स्व0 अब्दुल गनी व्यापार लेडिस टेलर्स
4.अब्दुल रशीद आयु 55 वर्ष स्व0 अब्दुल गनी व्यापार ट्रेक सूट निवासी मकान नम्बर 7 सी 12 विज्ञान नगर विस्तार योजना कोटा

अप्रार्थी।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 21.1.25

उपस्थितिः–

1.श्री अनीस नागौरी अधिवक्ता प्रार्थीया।
2.श्री रियाज अहमद, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेष हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया वर्तमान में 75 वर्ष का वरिष्ठ नागरिक महिला है तथा प्रार्थिया गृहणी महिला है। प्रार्थिया विधवा महिला है तथा प्रार्थिया के पति का काफी समय पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीया के चार पुत्र प्रतिपक्षीगण है, जिनका विवाह प्रार्थिया ने कर दिया है तथा प्रतिपक्षीगण अपनी पत्नियो व बच्चो के साथ मय परिवार के प्रार्थिया व उसके पति स्वर्गीय स्वअर्जित आय से निर्मित सम्पत्ति मकान, मकान नम्बर 2–ग–44, विज्ञान नगर डॉक्टर युनूस के सामने, कोटा राज० में निवास करते है। प्रार्थिया 75 वर्षीय सीनियर सीटीजन विधवा महिला है, जो कि अक्सर बीमार रहती है तथा प्रार्थिया के बी. पी. रहता है, तथा प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थिया को घर से निकाल रखा है, इस कारण से प्रार्थिया किराये का मकान लेकर निवास कर रही है तथा प्रार्थिया की प्रतिपक्षीगण द्वारा कोई सार संभाल तक नही लेते है, ना ही उसे कोई खर्चा देते है, ना ही उसकी देखरेख करते है, ना उसका भरण–पोषण करते है, और ना उसकी हारी–बीमारी में कोई दवा दारू लाकर देते है, जब भी प्रार्थिया प्रतिपक्षीगण से मकान खाली करने की कहती है, तो प्रतिपक्षीगण, प्रार्थिया के साथ फोश– फोश गालियां निकालते हुऐ

उपखण्ड अधिकारी
को

प्रार्थिया के साथ बदतमिजी करते है और लडाई– झगडा करते हुऐ मारपीट करने पर आमदा हो जाते है और प्रार्थिया को धमकी देते है कि यदि प्रार्थिया इस मकान पर आई तो प्रार्थिया के साथ अच्छा नही होगा और प्रार्थीया को जान से खत्म कर देंगे। प्रतिपक्षीगण जिस मकान में निवास कर रहे है, वह मकान प्रार्थिया के पति व प्रार्थिया की स्वयं की स्वअर्जित आय से निर्मित है, जिस पर प्रार्थिया के पति की मृत्यु के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रार्थिया का ही हक व अधिकार है। परन्तु प्रतिपक्षीगण ना तो प्रार्थिया को उक्त मकान में रहने दे रहे है, ना ही मकान में आने–जाने देते है, ना ही मकान का उपयोग–उपभोग करने देते है और ना ही प्रतिपक्षीगण, प्रार्थिया की कोई ऐर सबेर करते है, ना ही उसका भरण–पोषण करते है, ना ही उसकी हारी–बीमारी में कोई सेवा सुश्रूषा करते है और ना ही दवाईयां आदि लाकर देते है, बल्कि प्रार्थिया अपने मकान पर जाती है तो प्रार्थिया को मकान में नही जाने दिया जाता है और उल्टा मकान से बाहर निकाल दिया जाता है और उसके साथ लडाई–झगडा किया जाता है। इस कारण से अब प्रार्थिया अपने स्वअर्जित सम्पत्ति मकान में प्रतिपक्षीगण को नही रखना/रहना चाहती है और उनसे उक्त मकान को निष्कासित करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने अपने पुत्रो प्रतिपक्षीगण को अपने उक्त मकान में पुत्रगण होने के नाते केवल मात्र रहने की अनुमति प्रदान की थी, परन्तु प्रार्थिया के पुत्रगण प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थिया के मकान सम्पत्ति ना तो प्रार्थिया को आने–जाने दे रहे है, ना ही मकान का उपयोग–उपभोग करने दे रहे है, ना ही मकान में रहने दे रहे है. बल्कि जब भी प्रार्थिया मकान पर रहने के लिए जाती है और मकान का उपयोग–उपभोग करना चाहती है, तो प्रतिपक्षीगण एक राय होकर प्रार्थिया से लड़ाई–झगडा करते है, गाली – गलोच करते है और यहां तक कि मारपीट कर जान से मारने की भी धमकी देते है तथा यह भी धमकी देते है कि उक्त मकान को प्रतिपक्षीगण बैचान व खुर्द बुर्द करके रहेगे। जबकि ना तो प्रतिपक्षीगण, प्रार्थिया का भरण–पोषण करता है, ना हारी –बीमारी में कोई दवा आदि लाकर देता है, ना ही प्रार्थिया की कोई ऐर सबेर ही करता है, उल्टा प्रार्थिया के साथ आये दिन लडाई–झगडा करता है। प्रार्थीया सीनियर सीटीजन है, जो कि अक्सर बीमार रहती है तथा प्रार्थिया बमुश्किल विधवा पेंशन से अपना गुजारा करती चली आ रही है। परन्तु प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थिया को कोई सहायता राशि नही दी जाती है, और उल्टा प्रार्थिया के पूरे मकान को हडपना चाहता है। प्रतिपक्षीगण का व्यवहार व कृत्य दिन पर दिन और ज्यादा प्रार्थीया के प्रति क्ररता पूर्ण हो गया है और ऐनकेन प्रकारेण प्रतिपक्षीगण, प्रार्थीया को आये दिन धमकियां दे रहे है कि प्रार्थीया उक्त मकान पर नहीं आए और अन्यत्र चली जाए, अन्यथा उसका साथ अच्छा नही होगा और उक्त मकान को बैचान करने की भी प्रतिपक्षीगण आये दिन धमकी देते रहे है। प्रार्थिया की स्वंय की कोई आय नही है, ना ही आय का कोई जरिया ही है, जबकि प्रतिपक्षीगण सभी सम्पन्न है और प्रतिपक्षी क्रम 1 व 2 ट्रेक सूट का कार्य करते है तथा प्रतिपक्षी क्रम 3 लेडिस टेलर्स है तथा प्रतिपक्षी क्रम 4 मिस्त्री का कार्य करता है, जो कि सभी प्रतिपक्षीगण अच्छा पैसा कमाते है, अतः प्राथीया का प्रार्थना–पत्र (कार्यवाही) प्रार्थीया के पक्ष में व प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध स्वीकार फरमाते हुऐ प्रार्थीया के मालिकाना स्वामित्व वाले मकान वाकै मकान नम्बर–2–ग–44, विज्ञान नगर डॉक्टर युनूस के सामने, कोटा राज० से प्रतिपक्षी को निष्कासित किये जाने बाबत आदेश प्रदान फरमावे तथा प्रार्थीया को व्यक्तिगत सुरक्षा व संरक्षा तथा प्रार्थीया के उक्त मकान सम्पत्ति की सुरक्षा निरन्तर रखते हुऐ उक्त बाबत समुचित आदेश प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध प्रदान फरमाया

उपखण्ड अधिकारी

जावे तथा साथ ही प्रार्थिया के भरण–पोषण, हारी–बीमारी, दैनिक खर्च व मकान किराये वास्ते 20,000/–रूपये प्रतिमाह के हिसाब से राशि दिलवाई जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी प्रतिपक्षीगण का विवाह उनके पिता द्वारा ही किया गया था, तथा पिता के जीवनकाल व प्रतिपक्षी की शादियो के दौराने प्रतिपक्षीगण भी काम धंधा करते थे, समस्त आय अपने माता पिता के चरणो मे रख देते थे, प्रतिपक्षीगण ने आज दिनांक तक उक्त रकम का कोई हिसाब नहीं किया तथा मकान न. 2–ग–44, प्रतिपक्षीगण व उनके पिता द्वारा आय से खरीद किया गया था, परन्तु प्रपितक्षीगण द्वारा उक्त मकान को अपने पिता के नाम से ही खरीद किया था जो स्वंय इच्छा से किया गया था। प्रार्थीया अपनी इच्छा से अपनी पुत्रीयो के पास रहने चली जाती है, तथा मकान न. 2–ग–44, के नीचे के हिस्से के तीन कमरे प्रार्थीया के पावर एण्ड पजेशन मे है, जिनमे से एक कमरे मे प्रार्थीया स्वंय निवास करती है, तथा दो कमरो मे कोचिंग मे पढ़ने वाले बच्चो को रखती है, जिससे प्रार्थीया को 8000 अक्षरे आठ हजार रूपये प्रतिमाह की आमदनी होती है, प्रतिपक्षीगण द्वारा कभी भी अपनी मां को मकान खाली करने को नही कहा गया आज भी प्रार्थीया के तीन कमरो मे ताले लगे हुऐ है, प्रतिपक्षीगण ने कभी भी प्रार्थीया से लड़ाई झगड़ा नही किया और ना ही कोई अभद्वता की है। प्रतिपक्षीगण हमेशा अपनी माता का हर प्रकार से ख्याल रखते है, जहां तक मकान मे निवास करने का प्रश्न है, प्रार्थीया तथा प्रतिक्षीगण का उक्त मकान संयुक्त सम्पत्ति है, जिस पर समस्त प्रार्थीया व प्रतिपक्षीगण बराबर के मालिक है, तथा प्रतिपक्षीगण के द्वारा उक्त मकान के अलावा अन्य कोई मकान घर का नही है, प्रतिपक्षी क्रम 1 अपने परिवार के साथ किराये के मकान मे निवास करता है, मकान नबर 2–ग–44, प्रतिपक्षीगण की संयुक्त आय से अर्जित है, तथा सभी उक्त मकान के मालिक है, तथा संयुक्त रूप से निवास करते है, निष्कासित करने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। प्रार्थीया के आज भी उक्त मकान के तीन कमरो पर ताले लगे हुऐ है, प्रार्थीया समय – समय पर आकर सार संभाल करती है, प्रार्थीया को प्रतिपक्षीगण ने कभी भी निवास करने खाना खाने तथा हारी बीमारी मे दवा लाने के लिये मना नही किया ना ही कोई लडाई झगडा किया है। प्रार्थीया हमेशा से ही ग्रहणी रही है, उनकी आय का जरिया मात्र दो कमरो का किराया तथा कैथून रोड पर कृषि भुमि जिससे सलाना आय एक लाख रूपये होती है, जिसे प्रार्थीया अपने पास रखती है प्रार्थीया उक्त मकान की एकमात्र मालिक नही है, प्रतिपक्षीगण भी उक्त मकान के संयुक्त रूप से हिस्सेदार है, प्रतिपक्षीगण कभी भी उक्त मकान मे लाईसेन्सी के रूप मे नही रहे, अपने पिता की हयाती के समय से ही उक्त मकान मे निवास करते चले आ रहे है, प्रतिपक्षीगण उक्त मकान को बेचने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। प्रार्थीया दो कमरो का आठ हजार रूपये प्रतिमाह किराया प्राप्त करती है, तथा कृषि भूमि की सम्पूर्ण आय प्रार्थीया रखती है, इस प्रकार प्रार्थीया की प्रतिमाह आय 18,000/–अक्षरे अठठारह हजार रूपये प्राप्त होती है, प्रार्थीया किसी पर भी आश्रित नही है। प्रतिपक्षीगण सिलाई कर मजदूरी करते है, जिससे बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते है, जबकि प्रार्थीया की मकान के दो कमरो व कृषि भूमि से आय होती है, फिर भी प्रतिपक्षीगण अपनी मां को साथ रखने को आतुर है, परन्तु अतिरिक्त रकम अदा करने मे समक्ष नही है।

उभयपक्ष की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीया द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीया के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीया अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान नम्बर 7 सी 12 विज्ञान नगर विस्तार योजना कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया है कि प्रार्थीया के पास ग्राउण्ड फ्लोर के 3 कमरे पावर एण्ड पजेशन में है जिसमें एक करमे में प्रार्थीया स्वयं निवास करती है तथा 2 कमरे किराये पर दे रखे है। अप्रार्थी के उक्त कथन का प्रार्थीया की ओर से खण्डन नही किया गया है जिस कारण अप्रार्थीगण का उक्त कथन सत्य प्रतीत होता है अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत भरण पोषण अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि ग्राउण्ड फ्लोर के 3 कमरे प्रार्थिया के पावर एण्ड पजेशन में रहेंगे जिसमें अप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नही करेंगे। चूंकि प्रार्थीया वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थी अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। अतः अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि अपनी माता को 1,000/–,1,000/–रूपये मासिक प्रत्येक अर्थात 4,000/–रूप्ये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों।

उक्त निर्णय आज दिनांक 9/1/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा